न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः एम. के. सिंह,

सदस्य.

.....

प्रकरण कमांक निगरानी 1212–एक/15 विरूद्ध आदेश दिनांक 21–5–15 पारित द्वारा अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना प्रकरण कमांक 166/13–14/अपील.

.....

महिला जसोदा पत्नी श्रीकृष्ण वरेठा,
निवासिन ग्राम उदोतपुरा, वृत्त पीपरी,
तहसील व जिला भिण्ड म.प्र. ——— आवेदक

विरूद्ध

1– महिला टकेली पुत्री राजाराम पत्नी
भिखारीलाल वरेठा, निवासिन ग्राम विजपुरी (लावन)
जिला भिण्ड म.प्र.

2 महिला शीतला उर्फ सवित्रा पुत्री राजाराम
पत्नी रामेश्वर निवासिन श्रीकृष्ण नगर,
तहसील व जिला भिण्ड म.प्र.

3– महिला श्रीदेवी पुत्री राजाराम पत्नी कालीचरन
निवासिन ग्राम आवारी (उदी)
जिला इटावा (उत्तरप्रदेश) ——— असल अनावेदक

4– महिला रामकली वेवा राजाराम वरेठा,
5– श्रीकृष्ण पुत्र राजाराम बरेठा,
निवासी ग्राम उदोतपुरा वृत्त पीपरी,
तहसील व जिला भिण्ड म.प्र. ——— तरतीवी अनावेदकगण

.....

श्री एस. के. अवस्थी, अधिवक्ता, आवेदक ।

श्री के. के. द्विवेदी, अधिवक्ता, असल अनावेदकगण ।

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 17 – 08 –2015 को पारित)

.....

यह निगरानी अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना के प्रकरण कमांक

166/2013–14/अपील में पारित आदेश दिनांक 21–5–15 के विरूद्ध म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत पेश की गई है ।

2– प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि ग्राम उदोतपुरा में स्थित प्रश्नाधीन भूमि कुल किता 06 कुल रकबा 1.62 हैक्टर के अभिलिखित भूमिस्वामी राजाराम पुत्र हरलाल उर्फ धनपाल बरैठा थे । राजाराम की मृत्यु हो जाने के कारण प्रश्नाधीन भूमियों पर नामांतरण पंजी कमांक 13 दिनांक 20.3.13 में पारित आदेश दिनांक 10.4.13 द्वारा मृतक राजाराम के स्थान पर वारिसान के आधार पर अनावेदकगण का नामांतरण स्वीकार किया गया । उक्त आदेश के विरूद्ध आवेदिका द्वारा एस.डी.ओ. के समक्ष अपील पेश की जो उन्होंने आदेश दिनांक 09–6–14 द्वारा स्वीकार की एवं प्रश्नाधीन भूमि पर वसीयतनामे के आधार पर आवेदिका का नामांतरण स्वीकार किया । इस आदेश के विरूद्ध अनावेदक कमांक 1 लगायत 3 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में द्वितीय अपील पेश की जो अपर आयुक्त ने स्वीकार की एवं एस.डी.ओ. का आदेश निरस्त करते हुए तहसीलदार द्वारा पारित आदेश स्थिर रखा है । अपर आयुक्त के आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है ।

3/ आवेदिका की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क दिए गए हैं कि आवेदिका मृतक भूमिस्वामी की पुत्रवधू है ओर उसके पक्ष में मृतक भूमिस्वामी द्वारा पंजीकृत वसीयत की गई है । विचारण न्यायालय द्वारा आवश्यक पक्षकार को सूचना दिए एवं अपना पक्ष रखने का अवसर दिये वारिसाना नामांतरण किया है जो त्रुटिपूर्ण है ।

यह तर्क दिया गया है कि आवेदिका द्वारा वसीयत को साक्ष्य से प्रमाणित किया गया है एस.डी.ओ. ने प्रकरण में उपलब्ध साक्ष्य पर विचार कर जो आदेश दिया था उसे निरस्त करने में अपर आयुक्त ने त्रुटि की है ।

यह तर्क दिया गया कि अपर आयुक्त ने अभिलेख का अवलोकन किए बिना निष्कर्ष निकाला है जबकि वसीयत के संबंध में साक्ष्य उपलब्ध है यदि वे साक्ष्य को अपूर्ण मानते थे तब प्रकरण में स्वयं साक्ष्य लेना चाहिए थी इस कारण उनका आदेश त्रुटि पूर्ण है । उक्त आधार पर उनके द्वारा निगरानी स्वीकार किए जाने का निवेदन किया गया है ।

4/ अनावेदक कमांक 1 लगायत 3 की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिखित बहस

पेश की गई है, जिसमें मुख्य रूप से यह तर्क दिया गया है कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा जो आदेश पारित किया गया उसमें अनावेदक कमांक 1 लगायत 3 को सुनवाई का विधिवत सूचनापत्र जारी ही नहीं किया गया गया । आवेदिका द्वारा प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष अनावेदकगण के गलत पते प्रस्तुत किए हैं जबकि वह अपने–अपने ससुराल में निवासरत हैं । ऐसी स्थिति में गलत पतों के आधार पर सूचना पत्र को निर्वाह मान लेना नितांत अवैध एवं अनुचित है और ऐसे सूचनापत्र के आधार पर एस.डी.ओ. द्वारा उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए पारित आदेश अवैधानिक है जिसे निरस्त करने में अपर आयुक्त ने कोई त्रुटि नहीं की है ।

यह तर्क दिया गया कि अनावेदक कमांक 5 की पत्नी हैं, उसे विचारण न्यायालय के आदेश की जानकारी आवेदिका को विधिवत आदेश दिनांक से थी ऐसी स्थिति में उनके द्वारा जो अपील धारा 5 के आवेदन के साथ एस.डी.ओ. के समक्ष पेश की गई उसे सुनने का अधिकार उन्हें नहीं था । इस संबंध में उनके द्वारा 1990 आर.एन. 289 न्यायदृष्टांत का हवाला दिया गया है ।

यह तर्क भी दिया गया कि वसीयतनामा पर प्रथम अपीलीय न्यायालय को नामांतरण आदेश पारित करने की अधिकारिता नहीं है । अपर आयुक्त ने प्रकरण के संपूर्ण तथ्यों पर विचार एवं विश्लेषण करने के बाद आदेश पारित किया जो स्थिर रखे जाने योग्य है ।

5/ उभयपक्षों के तर्कों पर विचार किया एवं अभिलेख का अवलोकन किया । यह प्रकरण नामांतरण का है । प्रश्नाधीन भूमि के भूमिस्वामी मृतक राजाराम की मृत्यु के उपरांत नामांतरण पंजी कमांक 13 दिनांक 20.3.13 में नायब तहसीलदार द्वारा पारित आदेश दिनांक 10–4–13 द्वारा मृतक राजाराम के स्थान पर वारिसाना नामांतरण जो कि मृतक राजाराम की पत्नी, पुत्र एवं पुत्रियों के पक्ष में किया गया है । इस आदेश के विरूद्ध आवेदिका (जोकि मृतक भूमिस्वामी के पुत्र अनावेदक कमांक 5 की पत्नी है) के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा उक्त अपील में दिनांक 9–6–14 को आदेश पारित करते हुए आवेदिका का नामांतरण वसीयत के आधार पर करने के आदेश दिए हैं । इस आदेश के विरूद्ध अनावेदक कमांक 1 लगायत 3 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत द्वितीय अपील में अपर

आयुक्त ने आलोच्य आदेश पारित करते हुए अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को निरस्त किया गया है ।

6/ विचारण न्यायालय के अभिलेख (नामांतरण पंजी) के अवलोकन से स्पष्ट है कि पटवारी द्वारा दिनांक 20.3.13 को अपनी रिर्पोट पेश की गई है । पंजी पर सरपंच, ग्राम पंचायत उदोतपुरा एवं अन्य व्यक्तियों द्वारा प्रमाणित मूल पंचनामा संलग्न है । पंचनामा में बताए गए वारिसों के नाम वारिसाना नामांतरण दिनांक 10–4–13 को नायब तहसीलदार द्वारा प्रमाणित किया गया है । उक्त वारिसानों के अलावा मृतक राजाराम के अन्य कोई वारिस हैं, इस संबंध में किसी भी पक्ष द्वारा कोई आपत्ति ना तो अधीनस्थ न्यायालयों में और ना ही इस न्यायालय में की गई है । ऐसी स्थिति में आवेदक अधिवक्ता द्वारा दिया गया यह तर्क कि वारिसाना नामांतरण बिना आवश्यक पक्षकारों को सुने पारित किया गया है, अभिलेख पर आधारित न होने से मान्य किए जाने योग्य नहीं है ।

7/ जहां तक अनुविभागीय अधिकारी के आदेश का प्रश्न है, उनके न्यायालय के प्रकरण को देखने से यह पाया जाता है कि आवेदिका अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष स्वच्छ हाथों से नहीं आई है क्योंकि आवेदिका द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष जो अपील प्रस्तुत की गई उसमें अनावेदक कमांक 1 लगायत 3 के निवास स्थान का गलत पता उल्लेख किया गया है जैसाकि आवेदिका द्वारा व्यवहार न्यायालय में प्रस्तुत व्यवहार वाद एवं इस न्यायालय में प्रस्तुत निगरानी में अनावेदक कमांक 1 लगायत 3 के दर्शाए गए पतों से स्पष्ट है । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा गलत पते पर चस्पीदगी से बताई गई तामीली के आधार पर अनावेदक कमांक 1 लगायत 3 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए आदेश पारित किया गया है । ऐसी स्थिति में वास्तव में अनावेदक कमांक 1 लगायत 3 को सूचनापत्र विधिवत तामील ही नहीं हुआ है । अतः अनुविभागीय अधिकारी द्वारा उनके विरूद्ध की गई एकपक्षीय कार्यवाही त्रुटिपूर्ण है । इसके अतिरिक्त अनुविभागीय अधिकारी द्वारा जिन साक्षियों के कथनों के आधार पर वसीयत प्रमाणित मानते हुए आवेदिका के पक्ष में नामांतरण आदेश पारित किया गया है, वह प्रकरण वर्तमान में तहसील न्यायालय में प्रचलित/अनिर्णीत है अतः ऐसे अनिर्णीत प्रकरण में ली गई साक्ष्य, जिसके खंडन का कोई अवसर दूसरे पक्ष को नहीं दिया गया हो, के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आवेदिका का नामांतरण आदेश पारित करने में पूर्णतया अवैधानिक कार्यवाही की गई है । दर्शित परिस्थिति में यह पाया जाता है कि

विद्वान अपर आयुक्त द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को निरस्त करते हुए नामांतरण पंजी कमांक 13 में पारित आदेश दिनांक 10—4—13 को यथावत रखने में पूर्णतया वैधानिक एवं उचित कार्यवाही की गई है और उनके आदेश में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है ।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी निरस्त की जाती है तथा अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश दिनांक 21—5—15 स्थिर रखा जाता है ।

(एम.के. सिंह)
सदस्य,
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश,
ग्वालियर